

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-06
संख्या: — /XXX(6)/22-20(02)21
देहरादून: दिनांक, 25 अक्टूबर 2022
अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त, ग्रामीण निर्माण विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत अधिसूचित किया जाता है :-

1. ग्रामीण निर्माण विभाग :					
क्र0 सं0	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	टेकेदारों के पंजीकरण-श्रेणी 'A'	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	03 माह	विभागाध्यक्ष	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढवाल मण्डल हेतु/ मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाऊं मण्डल हेतु
2	टेकेदारों के पंजीकरण-श्रेणी 'B'	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) गढवाल मण्डल हेतु/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कुमाऊं मण्डल हेतु	03 माह	विभागाध्यक्ष	
3	टेकेदारों के पंजीकरण-श्रेणी 'C'	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	03 माह	विभागाध्यक्ष/ मुख्य अभियन्ता (स्तर - 2)	
4	टेकेदारों के पंजीकरण-श्रेणी 'D'	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	03 माह	अधीक्षण अभियन्ता	
5	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी)	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	निविदा की वैद्यता समाप्ति के 30 दिनों के भीतर (सफल निविदाताओं को छोड़कर)	अधीक्षण अभियन्ता	
6	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में प्रपिपूर्ति निक्षेप (एस0डी0) राशि का प्रतिदाय	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	अनुबंध/आपूर्ति आदेशों की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय से (आवेदन करने पर)30 दिनों के भीतर	अधीक्षण अभियन्ता	
7	टेकेदारों को अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	कार्य पूर्ण होने के 02 माह पश्चात आवेदन करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर	अधीक्षण अभियन्ता	

					अभियन्ता (स्तर-2) कुमांऊ मण्डल हेतु
2. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :					
01	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना/ अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।	प्र0चि0 अधिकारी/ चिकित्साधीक्षक	07 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
- उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।


(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या: 323 /XXX(6)/22-20(02)21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 50 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
- मीडिया सेन्टर।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(मिनी जोशी)
अनु सचिव।